फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अपीलाण्ट
भंवरलाल पुत्र बंशी लाल जी जाति सेवग, निवासी खिवाड़ा, हाल निवासी वासदा जूनी कसारा लाईन तहसील वासदा, जिला नवसारी (गुजरात)

बनाम

रेस्पोडेन्ट्स
1. श्रीमान नायब तहसीलदार, (पुर्व देसुरी) वर्तमान रानी
2. श्रीमान तहसीलदार, रानी

प्रकरण संख्या 26/2017

(आर.सी.एम.एस. प्रकरण संख्या 2017/00238)

किस्म मुकद्दमा : अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.2017	अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नायब तहसीलदार देसुरी द्वारा ग्राम खिवाड़ा के म्युटेशन संख्या 578 दिनांक 06.02.1983 पर पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की। अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत किया। अतः अपील सबजेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज की जावे। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया जावे। रेस्पोडेन्ट्स जरिये सम्मन तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक **18.07.2017** को पेश हो। **अति.जिला कलेक्टर,पाली**	855 22/6/17 856 22/6/17
18/7/2017	वकील अपीलार्थी उपस्थित। सरकारी पैरोकार उपस्थित। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब हो। पत्रा० दिनांक 10/08/2017 को पेश हो। अति. जिला कलेक्टर, पाली	
30/8/17	वकील अपीलार्थी उपस्थित। मंत्रालयिक कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश में होने के कारण पत्रावली नियत तारीख पेशी पर पेश न होकर आज पेश हुई। वकील अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील जरिये विड्रोल खारिज कराने का निवेदन किया। जो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थी की अपील जरिये विड्रोल खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

अति. जिला कलेक्टर, पाली